स0 स0 14 / एम 11–04 / 2018
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिह,
निदेशक प्रमुख

सेवा म

निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइस
वाराणसी –221005

पटना, दिनाक

विषय– मुख्यमंत्री चिकित्सा राहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **23.07.2025** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	अनुष्का प्रिया पिता– पप्पू सिह गाम– कुतुवपुर पो0– कुतुवपुर सेदपुर थाना– बिदुपुर जिला– वैशाली एमआरडी न0– 7585035	लिवर (गैस्ट्रो) रोग	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 3,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/– (**तीन लाख**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196964.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **27790100039150** खाता धारक का नाम– **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **Bank of Baroda**, शाखा का नाम– **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड स0 BARB0BHUVAR मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र [illegible] ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज **द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को** वापस किया **जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया** जाय।

6 **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र** विभाग को **वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक** के नाम **"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006[illegible],** शाखा **एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के** माध्यम से विभाग को **छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

(डॉ0 प्रमोद कुमार [illegible])

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2198(14) पटना, दिनाक 05/8/2025

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध [illegible] सलग्न चेक स0 196964 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित [illegible] दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी [illegible] पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/8/25

निदेशक प्रमुख